

RTI Application + First & Second Appeal Drafter

दस्तावेज़ प्रकार : पत्र / नोटिस · तैयार किया गया 29 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

सूचना का अधिकार (RTI) आवेदन सटीक रूप से तैयार हो तो सूचना बिना अस्वीकृति मिलती है; और सूचना अस्वीकृत, विलंबित या टालमटोल वाली होने पर प्रथम अपील (अपीलीय अधिकारी को) या द्वितीय अपील (केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग को) की जाती है। यह टूल आवेदन व दोनों अपीलें आधार व राहत सहित तैयार करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

RTI आवेदन, या प्रथम/द्वितीय अपील (CIC/SIC) — सूचना दिलाने हेतु सटीक रूप से — तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

तैयार RTI आवेदन (सटीक रूप से) का उपयोग PIO को दाखिल करने, या सूचना अस्वीकृत/विलंबित/टालमटोल होने पर प्रथम/द्वितीय अपील — आधार व राहत सहित — अपीलीय अधिकारी या सूचना आयोग को दाखिल करने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

आवेदन हेतु लोक-प्राधिकरण के जन-सूचना अधिकारी (PIO); प्रथम अपील हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी; द्वितीय अपील हेतु केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग (CIC/SIC)।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

RTI शुल्क (या BPL छूट) सहित PIO को दाखिल करें; प्रथम अपील उत्तर/समय-सीमा के 30 दिनों में, और द्वितीय अपील आयोग को 90 दिनों में, पत्राचार-शृंखला सहित दाखिल करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

RTI कार्यकर्ता या वकील वैकल्पिक — टूल इसे स्वयं-दाखिल हेतु तैयार करता है; जटिल अस्वीकृति या रणनीतिक द्वितीय अपील में समीक्षा लाभकारी हो सकती।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

RTI में सूचना माँगें, प्रश्न या राय नहीं, अन्यथा अस्वीकृत; अपील समय-सीमाएँ (30 दिन, 90 दिन) कठोर हैं। सटीक रूप दें और पावती व उत्तर-शृंखला रखें।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।